अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 63/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवीराज सिंह
2. श्रीमती निर्मला पत्नी श्री राघवेन्द्र सिंह

निवासी प्लाट नम्बर 35, प्रेम नगर, लक्ष्मी मार्ग, भारत आईसक्रीम, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर । हाल निवासी ग्राम थांकावास, रावड, जिला अजमेर ।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती विजय राजकंवर पत्नी श्री विजय प्रताप सिंह
2. विजय प्रताप सिंह पुत्र श्री राघवेन्द्र सिंह

निवासी प्लाट नम्बर 35, प्रेम नगर, लक्ष्मी मार्ग, भारत आईसक्रीम, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा–16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.09.2023 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण प्रकरण संख्या 154/2022 ब–उनवानी राघवेन्द्र सिंह बनाम श्रीमती विजय राजकंवर व अन्य

उपस्थित :–

1. अपीलार्थीगण मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं है।

निर्णय दिनांक 26.02.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण के प्रकरण संख्या 154/2022 ब–उनवानी राघवेन्द्र सिंह बनाम श्रीमती विजय राजकंवर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.09.2023 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये हुये 30 दिवस से अधिक का समय हो गया है, किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। तामील पर्याप्त मानी जाती है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष भी यही पता दर्ज था जिस पर रेस्पोडेन्ट उपस्थित हुये है। तहत रिकार्ड तलब किया गया ।
3. बहस एक पक्षीय अपीलार्थी सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. अपीलार्थीगण के प्रतिनिधि ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के क्रूरतापूर्ण व्यवहार से परेशान होकर माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 (1) (क) एवं (ख) सपठित धारा 23 के तहत अपनी स्वयं की जमा पूंजी से क्रय किये गये मकान नम्बर 35, प्रेम नगर, लक्ष्मी मार्ग, भारत आईस्क्रीम, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर से रेस्पोडेन्ट 1 व 2 को बेदखल करने व भरण पोषण राशि 30,000/–रूपये प्रतिमाह दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया था। जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष जबाब मिथ्या आधारों पर वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुये पेश किया गया था जिस पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किये बिना ही रेस्पोडेन्ट के मिथ्या व मनगढन्त कथनों को सत्य मान कर उक्त आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। जबकि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब मे दर्ज तथ्यो का वास्तविकता से किसी भी प्रकार का सरोकार नहीं है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने जबाब में तथ्यों को छिपाते हुये स्वयं को भरण पोषण हेतु असमर्थ दिखाया है जबकि वास्तविक स्थिति में रेस्पोडेन्ट के पास अत्याधिक आय के स्त्रोत है तथा उनकी विधिक जिम्मेदारी बनती है कि वे अपीलार्थीगण का नैतिक दायित्व के तहत भरण पोषण करे । इस तथ्य पर गौर ना कर अधीनस्थ अधिकरण ने आलौच्य आदेश पारित कर गम्भीर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के साथ विवाह होकर आने के पश्चात से ही आये दिन गृह क्लेश, लडाई झगड़ा व गाली गलौच करने लगी तथा अपीलार्थीगण को अपने ही स्वयं की आय से बनाये गये मकान से बेदखल कर दिया व नाजायज रूप से ताले जड़ कर कब्जा प्राप्त कर लिया जिससे अपीलार्थीगण के रहने व आय का कोई स्त्रोत नहीं रहा है। रेस्पोडेन्ट सख्या एक जबरन उक्त मकान में रहने वाले किरायेदारों से भी किराया डरा धमका कर स्वयं लेने लग गई है जो गैर विधिक है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने उक्त समस्त व्यूह रचना केवल मात्र मिन अपीलार्थीगण को अपनी सम्पत्ति से महरूम करने व दर–दर की ठोकरे खिलाने व उनके प्रति पुत्र की जो जिम्मेदारी बनती है उससे अपीलार्थीगण के पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 को अपने त्रियाचरित्र के जाल मे उलझा कर बेबुनियाद दबाव बना कर अपीलार्थीगण के साथ घोर अन्याय किया है। उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त आक्षेपित आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.09.2023 अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण के मकान नम्बर 25, प्रेम नगर, लक्ष्मी मार्ग, भारत आईस्क्रीम, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर को तुरन्त खाली करने, उक्त मकान में निर्मित चारों दुकानो का किराया अपीलार्थीगण को दिलवाने एवं अपीलार्थीगण को उनके भरण पोषण बाबत राशि 30,000/–रूपया प्रति माह नियमित रूप से दिलवाये जाने के आदेश फरमावे।

5. अपीलार्थी की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

6. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर दो अनुतोष चाहे है। प्रथम अपीलार्थी ने 30,000/–रूपया प्रति माह भरण पोषण, ईलाज व दवाईयों आदि के दिलवाये जाने का अनुतोष चाहा है। अधिनियम की धारा 9 (2) के तहत भरण पोषण के लिए अधिकतम राशि 10,000/–रूपया दिये जाने का प्रावधान है। अप्रार्थी–रेस्पोडेन्ट की आय को मध्य नजर रख कर अपीलार्थीगण को प्रति माह भरण पोषण की राशि दिलाये जाना उचित है। अपीलार्थी द्वारा चाहा गया भरण पोषण का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। द्वितीय, अपीलार्थी ने माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम 2007 के तहत उक्त सम्पत्ति से रेस्पोडेन्ट को बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी राघवेन्द्र सिंह ने विवादित मकान नम्बर 35 प्रेम नगर, लक्ष्मी मार्ग, भारत आईस्कीम, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर का गृह निर्माण समिति द्वारा अपने पक्ष में जारी किये गये पट्टे की फोटो प्रति पेश की है। जिससे विवादित मकान के मालिकाना हक होने की पुष्टि होती है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। अतः अपीलार्थी का यह अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2023 को अपास्त किया जाता । फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

7. अपीलार्थी सं.1 द्वारा बैंक खाता बताये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भरण पोषण राशि 5000/–रूपये अक्षरे पांच हजार रूपया प्रति माह की 10 तारीख तक अपीलार्थी को उसके बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी संख्या एक के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नम्बर 35 प्रेम नगर, लक्ष्मी मार्ग, भारत आईस्कीम, खातीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर से प्रत्यर्थी संख्या एक व दो को बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण को पालनार्थ प्रेषित हो। निर्णय की प्रति रखी जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक **26.02.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर